अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 11/2022(GCMS : 2022/) निर्मला देवी कटारिया पत्नी स्व. श्री पुरूषोतम लाल कटारिया, जाति अरोड़ा, आयु 77 वर्ष निवासी मकान नम्बर 170, गली नं. 3, हरदीप सिंह कालोनी, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर **बनाम** 1. संदीप कटारिया पुत्र स्व. श्री पुरूषोतम लाल कटारिया, गली नं. 4, हरदीप सिंह कालोनी, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर **2. हरीश कटारिया** पुत्र स्व. श्री पुरूषोतम लाल कटारिया, निवासी गांधी नगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर **3. वंदना पत्नी संजय मुंजाल** पुत्री स्व. श्री पुरूषोतम लाल कटारिया निवासी मकान 9, वैलकम विहार कॉलोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

28.10.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्रीमती निर्मला देवी एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 श्री संदीप कटारिया उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 2–हरीश कटारिया व 3–वंदना उपस्थित नहीं। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि :

प्रार्थिया निर्मला देवी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 अन्तर्गत के तहत इस कथन के साथ पेश किया था कि प्रार्थिया को प्रतिमाह 30,000/– रूपये भरण पोषण, ईलाज व दवाई खर्च के दिये जाने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे व प्रार्थिया को प्रार्थिया की माता द्वारा दिये गये मकान को बेचने की अनुमति प्रदान किये जाने के लिए पेश किया था। प्रार्थिया 77 वर्ष की वृद्धा है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 उसके पुत्र व बेटी है, व तीनो विवाहित है। प्रार्थीया के पति पुरूषोतम लाल कटारिया पेशे से अधिवक्ता थे तथा प्रार्थिया के पिता भी पेशे से अधिवक्ता थे तथा श्रीगंगानगर के न्यायालय में वकालत करते थे। प्रार्थीया की माता द्वारा अपने जीवन काल में प्रार्थिया को जरिये [illegible] प्लॉट 40 गुणा 40 फुट का चावल कॉलोनी, मकान नें. 646, [illegible] 67 में दिया गया था जिसे प्रार्थीया के द्वारा अपनी [illegible] पति के नाम से [illegible]नामा करवा दिया था उक्त प्लाट प्रार्थिया की [illegible] द्वारा प्रार्थिया व [illegible]पति को दिया गया थ जिस पर प्रार्थिया का पूरा अधिकार है। प्रार्थिया अपने उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:42 IST
Reason: SelfAttested

मकान में अपने पति की मृत्यु के बाद से ही लगातार निवास कर रही थी वर्ष 2016 में प्रार्थिया के उक्त मकान के आगे सड़क को चौडा करने के नाम से प्रार्थिया का आधा खरीदशुदा मकान यूआईटी द्वारा तोड दिया गया। जिस कारण प्रार्थिया का आधा मकान भी रहने लायक नहीं रहा। प्रार्थिया किराये के मकान में निवास कर रही है। अप्रार्थी संख्या 1 के बडे बेटे को एक दुकान व 10 लालख रूपये नगद दिये व जिसका ब्याज अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थिया को देने के लिए कहा था। प्रार्थिया के पति की मृत्यु के बाद अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 प्रार्थिया को तंग व परेशान करने लगे जिस पर प्रार्थिया के भाई ने अप्रार्थी संख्या 1 को इस बात के लिए पाबन्द किया कि जो 10 लाख रूपये तुम्हारे पास है उसका ब्याज 8000/— रू. अपनी माता को दिया करों। जिससे प्रार्थिया अपना जीवनयापन कर सके। अप्रार्थी संख्या 1, रू. 10 लाख का ब्याज 8000/— रू. प्रतिमाह प्रार्थिया को देता है। जिसमें से 5000/— रूपये प्रतिमाह प्रार्थिया को मकान का किराया देना पड़ता है और बिजली पानी का बिल देने के पश्चात प्रार्थिया के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता। जिससे प्रार्थिया अत्यधिक परेशान है। प्रार्थिया अपने चावला कॉलोनी स्थित मकान को जो कि क्षतिग्रस्त है बेचान कर अच्छी जगह पर मकान लेकर रहना चाहती है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रार्थिया को उसका मकान बेचने नहीं देते तथा अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थिया के मारपीट करता है तथा गाली गलौच करता है। उससे मुझे जीवन का भी खतरा है। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 का उक्त मकान में कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थिया को अप्रार्थीगण से [illegible]/— रूपये गुजारा भत्ता भरण पोषण, ईलाव व दवाई खर्च हेतु [illegible] व प्रार्थिया को प्रार्थिया की माता द्वारा दिये गये मकान [illegible] प्रदान की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:42 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी ने अपनी बहस में [illegible]**पील** के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.08.2022 को आदेश पारित किया गया है जिससे व्यथित होकर उसने यह अपील पेश की है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 के पुत्र व बेटी है, जो उसका ध्यान न रखकर उसे तंग व परेशान करते है तथा अपीलांटा का मकान संख्या 646 जो चावला कॉलोनी गंगानगर में स्थित है। उसकी माता द्वारा उसे दिया था, जिसकी वसीयत उसके पति श्री पुरूषोतम कटारिया के पक्ष में कराई गई थी, इस प्रकार से उसकी माता द्वारा दिये जाने पर उसके पति द्वारा निर्माण कराया गया। जिसमें वह अपने पति के साथ निवास करती रही।

उनका आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की शादीयां इसी मकान में रहते हुये की गई व शादीयों पर काफी खर्चा हैसियत से बढ कर किया गया। उसके पति का व्यवसाय वकालत था उनको इस व्यवसाय से अच्छी आय थी, उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अलग अलग मकान भी लेकर दिये गये तथा उन्हें कारोबार भी कराया गया, जब मकान निर्माण कराये उस समय अप्रार्थीगण की आयु कम थी व तीनों अध्ययनरत थे, किसी प्रकार से कोई आये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को नहीं थी।

उनका आगे यह भी कथन था कि उसके पति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को 10,00,000/– रूपये अखरे दस लाख रूपये दिये गये, जिस बाबत 8000/– रूपये ब्याज राशि उसको देने का वचन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिया गया था।

उनका आगे यह भी कथन था कि उसके पति का देहांत दिनांक 26.10.2001 के अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उसके साथ झगड़ा करने लगे कि मकान में हम प्रत्येक का हिस्सा बनता है, उसे तंग–परेशान करने लगे और ना तो देखभाल करते है व ना ही इलाज वगैरहा करवाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:42 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन था कि प्रश्नगत मकान जो उसकी माता द्वारा वसीयत द्वारा दिया है, की वह मालिक है, उसे विक्रय करने में अप्रार्थीगण कोई रूकावट ना करें।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्येक अप्रार्थी पर 2500/— रूपये मासिक देना तय हुआ है जबकि 8,000/— रूपये तो उसके पति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को दी गई राशि दस लाख रूपये का ब्याज है, जिसे बंद नहीं किया जा सकता। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त है।

उनका आगे यह भी कथन था कि वह 77 वर्ष की वृद्ध औरत है, जिसे हष्ट–पुष्ट बताया गया है, जबकि उसको कम सुनाई देता है व आंखों से भी कम दिखता है, इस अवस्था में अप्रार्थीगण को स्नेहपूर्वक रखना चाहिए था, यह कहना कि परिवार के साथ नहीं रहना चाहती, रूपये को बर्बाद करती है, गुरूओं के पास हरिद्वार जाती है, तमाम तथ्य केवल उसे तंग–परेशान करने की नियत से असत्य कथित किए है। 8000/— रूपये ब्याज राशि से मकान किराया अदा करना, खाना पीना करना तथा आज की इस महंगाई में कतई सम्भव नहीं है। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट ने पूर्व में लिखित जबाव पेश किया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 01— संदीप कटारिया कथन किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत जबाव को ही उनकी बहस माना जावे।

उनका आगे यह भी कथन था कि मकान का भूखण्ड उसकी माता द्वारा वसीयत में दिया गया था जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका में यह अभिकथन किया गया था कि प्रार्थिया के पति व अप्रार्थीगण के पिता श्री पुरूषोतम लाल कटारिया, अधिवक्ता थे तथा प्रार्थिया के पिता श्री केशवानंद चलाना भी अधिवक्ता थे परन्तु केशवानंद चलाना द्वारा कभी भी विवादित प्लॉट खरीद नहीं किया गया था और ना ही कथित प्रकार से कोई वसीयत कर प्लॉट प्रार्थिया को दिया गया। कभी भी ऐसी वसीयत अस्तित्व में नही थी और न ही वसीयत को पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:42 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

है। उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 श्री पुरूषोत्तम लाल कटारिया का संयुक्त हिन्दु परिवार था और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भी अपना अपना व्यवसाय करते थे और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा पुरूषोतम लाल कटारिया द्वारा मिलकर प्रारम्भ में भूखण्ड 5000–6000 रूपये का खरीद किया गया था तथा संयुक्त रूप से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा पुरूषोत्तम लाल कटारिया द्वारा इस पर निर्माण कार्य किया गया था।

उनका आगे यह भी कथन था कि भूखण्ड पर बना मकान 40 गुणा 40 फीट पर किया गया था परन्तु वर्ष 2016 में जस्सा सिंह मार्ग सडक को चौड़ा करने के आश्य से प्रशासन द्वारा मकान का आगे का हिस्सा धवस्त बकाया रहा जो भी पुराना व जर्जन होने के कारण भागतः ध्वस्त हो गया तथा रिहायश के योग्य नहीं रहा इसलिए प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 का परिवार जो संयुक्त रूप से निवास करते थे, को भी पलायन कर दूसरे मकान में जो विवादित मकान के पीछे स्थित है, में जाना पडा।

उनका आगे यह भी कथन था कि कुछ दिन प्रार्थिया, अप्रार्थी संख्या 1 के साथ रहती रही परन्तु उसने स्वेच्छा से अप्रार्थी संख्या 1 के परिवार के साथ रहना छोड़ दिया तथा दूसरा मकान जो कि अप्रार्थी संख्या 2 का है, पर अलग निवास करने लगी। प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को कोई किराया अदा नहीं किया जा रहा और न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। प्रार्थिया के सुविधापूर्वक निवास करने के लिए मकान में प्रत्येक प्रकार की सुविधा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उपलब्ध करवाई हई है। मकान में ए.सी. व अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है तथा बिजली का बिल एवं मकान में लगे हुए ए.सी. व अन्य उपकरणों की रिपेयरिंग व सर्विस भी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा करवायी जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:42 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि पुरूषोतम लाल कटारिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कोई मकान लेकर नहीं दिया तथा जो भी मकान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा बनाये गये है वे उन्होनें अपनी स्वतन्त्र आय से बनाये है। विवाह–शादियों में भी जो व्यय हुआ वह भी पुरूषोतम लाल कटारिया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त आय से हुआ था। अप्रार्थी संख्या 1 को भी श्री पुरूषोत्तम लाल कटारिया द्वारा कोई दुकान व 10 लाख रूपये नगद नहीं दिये गये और न ही श्री पुरूषोतम लाल कटारिया द्वारा ब्याज इस राशि को देने के लिए प्रार्थिया को कहा गया। दुकान व 10 लाख रूपये देने की कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई हैं

उनका आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा कभी भी प्रार्थिया को तंग व परेशान नहीं किया गया और प्रार्थिया के भाई ने कथित प्रकार से 8000/– रूपये ब्याज के रूप में अदा करने के लिए पाबंद नहीं किया गया। प्रार्थिया के दो भाई है और कौनसे भाई ने कब पाबंद किया गया, इसके संबंध में भी कोई अभिकथन नहीं किये गये है। इससे भी यह तथ्य कपोलकल्पित प्रमाणित होता है जबकि प्रार्थिया को अप्रार्थी संख्या 1 राशि 8000/– उसके भरण पोषण के लिए अदा की जाती है जबकि इस 8000/– रूपये का भी वह व्यय नहीं कर पाती क्योंकि सभी प्रकार का राशन–पानी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थिया को भिजवाया जाता है। यहां तक कि उसके मोबाईल को भी रिचार्ज अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा करवाया जाता है तथा जब कभी भी उसे दवाई आदि की आवश्यकता होती है तो भी उसके दवाई की पर्ची भेजने पर दवाईयां अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थिया को भेज दी जाती है तथा अप्रार्थी संख्या [illegible] व 2 स्वयं तथा उसका परिवार समय–समय पर प्रार्थिया से मिलने [illegible] आते रहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:42 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन था कि प्रार्थिया द्वारा कोई किराया मकान का नहीं दिया जाता और न ही बिजली–पानी के कोई बिल उसके द्वारा भरे जाते है। बिल भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा भरे जाते है। प्रार्थिया को

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

वृद्धावस्था पेंशन के रूप में भी लगभग 2500 रूपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त हो रही है। प्रार्थिया के नाम से ओबीसी बैंक, शाखा गउशाला रोड़, श्रीगंगानगर में खाता है जिसमें उसके द्वारा राशियां समय समय पर जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से प्राप्त होती है, जमा करवायी जाती है, जिसका स्टेटमेंट तलब करने पर यह स्पष्ट हो सकता है कि प्रार्थिया द्वारा समस्त अभिकथन झूठे किये गये है। प्रार्थिया के नाम से इसी बैंक में लॉकर भी है जिसमें उसने अपना सोना आदि रखा हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थिया को किसी भी प्रकार से तंग व परेशान नहीं किया जाता जबकि अप्रार्थी संख्या 2 विवाहित होने के कारण अपने ससुराल में आबाद है जिससे उसका कभी भी कोई विवाद नहीं रहा और न ही प्रार्थना–पत्र में उसके विरूद्ध कोई दोषारोपण किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन था कि प्रार्थिया को अकेले मकान विक्रय करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि स्व. श्री पुरूषोतम लाल द्वारा अपने जीवनकाल में बंटवारा कर मकान अप्रार्थी संख्या 1 को दे दिया था तथा अप्रार्थी संख्या 2 को दूसरा मकान जो बसंती चौक पर था, दे दिया था। प्रार्थिया अप्रार्थी संख्या 2 व उसके परिवार के बिना कारण के नाराज रहती है और इसलिए उसने झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

उनका आगे यह भी कथन था कि प्रार्थिया को किसी भी प्रकार से 30,000/– रूपये की राशि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसे पूर्व में ही 8000/– रूपये प्रतिमाह अप्रार्थी द्वारा अदा किया जा रहा है, जो प्रत्येक माह नियमित रूप से अदा किया जा रहा है। प्रार्थिया को पेंशन भी प्राप्त हो रही है एवं बैंक में जमा राशियों का ब्याज भी प्राप्त होता है। उपरोक्त राशियों की अदायगी के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उसे कोई राशि व्यय नहीं करने दी जाती है और जो भी राशन–पानी व अन्य खर्चे आदि है, वे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अदा किये जाते है। इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:42 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थिया निर्मला देवी एक वरिष्ठ नागरिक है, अप्रार्थीगण संदीप कटारिया एवं हरीश कटारिया उनके पुत्र है एवं वंदना उनकी पुत्री है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने हस्तगत अपील पेश की है। अपीलार्थिया ने यह अपील मकान नं. 646/2021, चावला कॉलोनी, नजदीक बसंती चौक, श्रीगंगानगर को बेचने की अनुमति प्रदान करने एवं भरण पोषण, ईलाज व दवाई खर्च हेतु 30,000/— रूपय प्रतिमाह दिलवाने हेतु एक प्रकरण धारा 21 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 व 5 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिसमें **उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 12.08.2022 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:**

> अप्रार्थीगण, प्रार्थिया के पुत्र एवं पुत्री है और अप्रार्थीगण का प्रार्थिया के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है। इसलिए अप्रार्थीगण, प्रार्थिया को उसकी जरूरत के हिसाब से एवं उसके भरण पोषण को ध्यान में रखते हुए अगस्त 2022 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व 2500/— रूपये अखरे दो हजार पांच सौ रूपये प्रत्येक अप्रार्थी, प्रार्थिया को अदा करेगें उक्त राशि अप्रार्थीगण को प्रार्थिया के बैंक खाते में जमा करवानी होगी, जिसके लिए प्रार्थिया अपना बैंक खाता अप्रार्थीगण को अपने स्तर से उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेगी। अप्रार्थीगण, प्रार्थिया के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें। प्रार्थिया को तंग व परेशान करने से निषेध रहे।
>
> -sd-
> (मनोज कुमार मीणा)
> उपखण्ड मजिस्ट्रेट
> श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:42 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय दिनांक 12.08.2022 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.08.2022 को निरस्त कर अपीलांट की सम्पत्ति मकान नं. 646/2021 चावला कॉलोनी नजदीक बसंती चौक, श्रीगंगानगर को बेचने की अनुमति व भरण पोषण हेतु 30,000/– प्रति माह दिलवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

> **2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नहीं है।**
> **2(ख) "भरण पोषण" के अन्तर्गत भोजन, कपड़े निवास और चिकित्सीय परिचर्या और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,**

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार अपीलार्थिया के दो पुत्र संदीप कटारिया एवं हरीश कटारिया है तथा एक पुत्री वंदना पत्नी संजय मुंजाल है।

अपीलार्थिया ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसमें यह अंकित हो कि अपीलांट के पति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को 10,00,000/– (अखरे रूपये दस ल[illegible] जिस बाबत 8000/– रूपये ब्याज राशि अपीलांटा [illegible] संख्या 1 के द्वारा दिया गया था

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:42 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थिया ने बहस के दौ[illegible] फार्म नं. 3 के साथ एक घरेलू पंचायत दिनांक 20.01.2018 का दस्तावेज पेश किया है जिसमें निम्नानुसार अंकित है :

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

> सशर्त सभी भाई बहनों के **मामा सुरेश चलाना की पंचायत में ये फैसला किया है कि** 40 गुणा 40 साईज प्लॉट जो मकान का रूप है, जिसका वर्तमान साईज 40 गुणा 13 लगभग रह गया है, जिसको माता निर्मला देवी द्वारा इच्छानुसार प्रयोग में लाया जायेगा, उसके बेचान के लिए अभी किम्मत सही नहीं मिल रही है। किम्मत 70 लाख के पास होने पर तीनो भाई बहन व माता निर्मला देवी, मामा सुरेश चलाना के मार्गदर्शन में बैठकर बेचान का निर्णय ले लेगें। **मकान का रहने के लिए, मकान की रिपेयरिंग दोनों भाई करवा कर देगें व घर खर्च के रूप में 8000/– आठ हजार रूपये प्रति माह देगें।**
>
> **गवाह (पंचायती)**
>
> (सुरेश चलाना) (संदीप कटारिया) (निर्मला कटारिया)
>
> (हरीश कटारिया) (वंदना मुंजाल)

उक्त घरेलू पंचायत के फैसले में **अपीलार्थिया को 8000/– आठ हजार रूपये प्रति माह घर खर्च के रूप में देना अंकित किया गया** है किसी प्रकार की ब्याज राशि देना अंकित नहीं किया गया है और किसी भी पक्ष द्वारा ब्याज राशि देने का अन्य कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया है।

उक्त घरेलू पंचायत के फैसले के आधार पर विवादित मकान संख्या 646, चावला कॉलोनी, श्रीगंगानगर साईज 40′ गुणा 40′ (वर्तमान साईज 40′ गुणा 13′) के बेचान का निर्णय अपीलार्थिया, रेस्पोडेंट तथा उनके मामा सुरेश चलाना के मार्ग दर्शन में कर सकेगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:42 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थिंया ने रेस्पोडेंट के विरुद्ध माता पिता एवं विरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत प्रस्तुत कर **विवादित मकान** संख्या 646, चावला कॉलोनी, श्रीगंगानगर साईज 40' गुणा 40' (वर्तमान साईज 40' गुणा 13') को बेचान करने की अनुमति के साथ पेश किया है, जो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आता हैं, इसलिए अपीलार्थीगण को उक्त **विवादित मकान को बेचान करने की हद तक का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।** अपीलार्थी उक्त विवादित सम्पत्ति हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष निगरानी/अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थी भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पुत्र रेस्पोडेंट संदीप कटारिया, हरीश कटारिया एवं पुत्री वंदना पत्नी संजय मुंजाल से भरण पोषण की हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रावधान है:

> 4. माता—पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण—
>
> (1) माता— पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण—पोषण करने में असमर्थ है—
>
> (i) माता—पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।
>
> (ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में नि[illegible]ने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवे[illegible] का हकदार होगा।
>
> (2) वरिष्ठ [illegible] पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की [illegible]बद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:42 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

(3) सन्तानो की उसके माता—पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता—पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगाः

परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार माता—पिता अपनी संतानो से तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकते है, यदि वे अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में **धारा 9(2) के अनुसार 10,000/— तक भरण पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है।** अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 07.09.2022 अन्तर्गत धारा 16 **माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से भरण पोषण दिलवाने की मांग भी की है** **माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की भावनाओं को देखते हुए अप्रार्थी का प्रार्थीगण के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है, इसलिए प्रत्येक रेस्पो[illegible]/— रूपये प्रति माह दिनांक 10 तारीख से पूर्व प्रार्थिया के बैंक खाते में [illegible] करवायेगा, जिसके लिए प्रार्थिया अपना बैंक खाता अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थिया के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें तथा अपीलार्थी को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:42 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर आदेश की पालना करवाना सुनिश्चित करें। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थिया व रेस्पोडेन्ट को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.11.02 17:39:42 IST
Reason: SelfAttested